

## राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

### कोर्स रिपोर्ट

#### इन्वेस्टिगेशन ऑफ साईबर क्राईम केसेज

राजस्थान पुलिस अकादमी में 'इन्वेस्टिगेशन ऑफ साईबर क्राईम केसेज' विषय पर दिनांक 08-01-2018 से 19-01-2018 तक दो सप्ताह के कोर्स का आयोजन किया गया।



इस कोर्स में राजस्थान पुलिस के 4 पुलिस निरीक्षक एवं 17 पुलिस उप निरीक्षक स्तर के कुल 21 अधिकारी प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें साईबर अपराधों के अनुसंधान विषय पर प्रथम सप्ताह में विभिन्न व्याख्याताओं श्री दिलीप कुमार सैनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, आरपीए, श्री महेश शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक, पुलिस टेलीकम्यूनिकेशन, जयपुर, श्री गजेन्द्र शर्मा, उप निरीक्षक पुलिस, साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन, जयपुर, श्री परमेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन, जयपुर, श्री मिलिन्द अग्रवाल, साईबर एक्सपर्ट, श्री अभिषेक कुमार, लीडर—लॉ इन्फॉर्समेंट आउटरीच एण्ड इन्वेस्टिगेशन, उबर, इण्डिया, ने वर्तमान ट्रेंड्स, कम्प्यूटर की मूलभूत जानकारी यथा: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग एवं इन्टरनेट, साईबर अपराध संबंधित IT Act, स्पेशल एक्ट, अन्य लोकल एक्ट एवं IPC की लगने वाली विभिन्न धाराएँ, विभिन्न साईबर अपराध जैसे हैकिंग, डेटा चोरी, वायरस व वोर्म फैलाना, फिशिंग, विशिंग, कम्प्यूटर नेटवर्क डिसराष्न, साईबर बुलिंग,

आईडेटिटी थेफट, साईबर आतंकवाद, ई—मेल से धोखाधड़ी, ई—मेल स्पूफिंग, क्रेडिट / डेबिट कार्ड फॉड, कॉपी राईट से संबंधित अपराध, पोर्नोग्राफी, धोखाधड़ी, डिनाईल ऑफ सर्विस अटैक, वेब डीफेसमेन्ट, वेबसाईट हैकिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी आदि के अपराध करने के तरीके वारदात बताने के अलावा बैंकिंग से संबंधित फॉड यथा: ऑन लाईन ट्रांजेक्शन, बैंकिंग कार्ड आदि से संबंधित केसेज इनके अनुसंधान के तरीके व SOP की जानकारी दी। साईबर अपराधों को इन्वेस्टिगेट करने में ऑपन सॉर्स टूल्स की उपयोगिता तथा मोबाईल फोन फॉरेंसिक के बारे में विस्तार से बताया गया।

साईबर अपराध से संबंधित कोर्स के दूसरे सप्ताह में विभिन्न व्याख्याताओं श्री राजेश दुरेजा, पुलिस निरीक्षक, एटीएस, जयपुर, श्री ओशो पार्थ, साईबर एक्सपर्ट, जयपुर, श्री शेखर सिंह, बैंक मैनेजर (इन्वेस्टिगेशन), डॉ. विश्वास भारद्वाज, सहायक निदेशक (साईबर फॉरेंसिक), एफएसएल, जयपुर, श्री मुकेश यादव, उप अधीक्षक पुलिस, श्री निशीथ दिक्षित, एडवोकेट, जयपुर द्वारा विभिन्न प्रकार की कॉल डिटेल व टावर डम्प का विश्लेषण, एमएस—एक्सल का उपयोग करते हुए सीडीआर विश्लेषण करवाया, विभिन्न डाटा की इमेजिंग एण्ड हैस वैल्यू सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार करना, साईबर अपराध के अनुसंधान के दौरान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की पहचान, चैन ऑफ कस्टडी, संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस की पैकिंग कर FSL भिजवाना, FSL से पूछे जाने वाले प्रश्न व पूरी प्रक्रिया के दौरान डूज् व डॉन्ट्स की जानकारी दी, बैंकिंग फोड एवं इनके डेटा कलेक्शन को कैस स्टेडी के माध्यम से समझाया गया, साईबर अपराधों में डाटा स्टोरेज डिवाईसेज की हैश वैल्यू निकालना, राईट ब्लॉकर की मदद से इमेजिंग करना, इमेज का विश्लेषण करना या करवाया जाकर विभिन्न कानूनों यथा: IT Act., इंटरमीडियरी गाईड लाईन, टेलीग्राफ एक्ट, साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों व संबंधित नियम, कोर्ट के निर्णयों के बारे में बताया। इसके अतिरिक्त डार्क वेब के माध्यम से होने वाले विभिन्न अपराधों के बारे में विस्तार जानकारी दी गई।

कोर्स के समाप्ति पर उप निदेशक एवं प्राचार्य, आरपीए, जयपुर श्री राजेश शर्मा, द्वारा प्रतिभागियों को उद्बोधन कर उन्हे प्रमाण—पत्र प्रदान किये गये। इस कोर्स के कोर्स डायरेक्टर श्री दिलीप सैनी, सहायक निदेशक (स्पेशल कोर्स एवं सीओई) तथा सहायक कोर्स डायरेक्टर श्री नन्द कुमार कटेवा, प्रोग्रामर थे।